बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)–21 / 2016.....405..... न०वि० एवं आ०वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9 सह–पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद् द्वारा बिहारशरीफ शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे "बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र" कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं : –

उत्तर – पूर्वी भाग में रहुई सी०डी० ब्लॉक के ईमामगंज, सिंकन्दरपुरा– दिगपुरा, मोरातलाव एवं मुशेपुर से होते हुए नुरसराय सी०डी० ब्लॉक के ईब्राहिमपुर लोहरी, दुईया क्षेत्र तक।

दक्षिण – पूर्वी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के रोजेवदारे आलम, कमरपुर, पहाड़पुर, कोसुक से होते हुए लकरनवन और पछौरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के बसमनबिगहा, चैनपुरा, बरियारपुर और कल्यानपुर क्षेत्र तक।

पश्चिम– उत्तरी भाग में नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के ककहरा, मन्दाछ, से होते हुए बिहार सी०डी० ब्लॉक के बियाबानी और मघरा तक।

इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल–58.23 वर्ग कि०मी० है, जिसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त बिहार, रहुई एवं नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के क्षेत्र शामिल हैं। इस आयोजना क्षेत्र में 37.91 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 20.32 वर्ग कि०मी० शहरी क्षेत्र है।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के भीतर शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची अनुसूची–II एवं इस आयोजना क्षेत्र के अधीन शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरण अनूसूची–III के रूप में संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि का अवधारण एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

17/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)–21 / 2016.....405..... / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–18/5/17

प्रतिलिपि –अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

(165)

ज्ञापांक –11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016...405.../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–18/5/17

प्रतिलिपि --मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के सदस्य/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी बिहारशरीफ/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/ सभी संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

164

Government of Bihar

Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No. 11/नविमाप्लान(आक्षे०)–21/2016....406........, UD&HD, in exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, with the objective of integrated and planned development of Biharsharif Town and important areas surrounding it, declares the following Planning Area, for the purpose of preparing Master Plan of Biharsharif for a period of 20 years or more, which will be called as "Biharsharif Planning Area". Its local boundaries are as follows -

North - In the eastern part from Imamganj, Sikandarpura Digpura, Moratalao, Musepur of Rahui CD Block, Ibrahimpur, Lohri of Noorsarai CD Block upto Doia in the western part;

South - In the eastern part from Rauza Badaralam, Kamarpur Paharpur, Kasuk, Lakranwan of Bihar CD Block upto Pachauri in the western part;

East - In the northern part from Basman Bigha, Chanpura, Bariyarpur of Bihar CD Block upto Kaleanpur in the southern part;

West- In the northern part from Kakhra, Mandachh of Noorsarai CD Block, Baibani of Bihar CD Block upto Maghra in the southern part.

The total area of Biharsharif Planning Area is 58.23sq.km, in which areas of Bihar, Rahui and Noorsarai CD Blocks have been included besides Biharsharif Municipal Corporation area. In this Planning Area 37.91sq.km is rural area and the rest 20.31sq.km is urban area.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Administrative Units and Revenue Villages as Appendix-II, names and population details of Urban Administrative Unit and Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area upto ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.

By the order of Governor,

17/5/2017

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

ज्ञापांक –11/नविमाप्लान(आक्षे०)–21/2016 406 नवि० एवं आवि०, पटना, दिनांक–18/5/17

Copy to - Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use immediately.

17/5/2017

Principal Secretary

163

ज्ञापांक –11/नविमाप्लान(आक्षे०)–21/2016 406 नवि० एवं आवि०, पटना, दिनांक–18/5/17

Copy to –Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Patna/ District Magistrate, Nalanda/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation Biharsharif/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD/ Circle officers of the concerned area for kind information and necessary action.

17/5/2017

Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद के लिए संलेख

गोपनीय
मुद्रस्थ

विषय– **"बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र"** की घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बिहारशरीफ, नालन्दा जिला का प्रशासनिक मुख्यालय शहर है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल है। बिहारशरीफ शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहार आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा आयोजना क्षेत्र की घोषणा किया जाना है, जिसे "बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र" कहा जा सकेगा।

2. बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर आमजनों एवं हितधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। वर्णित दिशा निदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी बिहारशरीफ द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव को उपलब्ध कराया गया, जिसपर दिनांक–24.01.2017 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पंचम बैठक में विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

3. इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल–58.23 वर्ग कि०मी० है, जिसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त बिहार, रहुई एवं नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के क्षेत्र शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र में 37.91 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 20.32 वर्ग कि०मी० शहरी क्षेत्र है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में रहुई सी०डी० ब्लॉक के ईमामगंज, सिंकन्दरपुरा– दिगपुरा, मोरातलाव एवं मुशेपुर से होते हुए नुरसराय सी०डी० ब्लॉक के ईब्राहिमपुर लोहरी, दुईया क्षेत्र तक।

दक्षिण –पूर्वी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के रोजेवदारे आलम, कमरपुर, पहाड़पुर, कोसुक से होते हुए लकरनवन और पछौरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के बसमनबिगहा, चैनपुरा, बरियारपुर और कल्यानपुर क्षेत्र तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के ककहरा, मन्दाछ, से होते हुए बिहार सी०डी० ब्लॉक के बियाबानी और मघरा तक।

4. इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी अनुसूची–III के रूप में संलग्न है।

5. आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन एवं आयोजना क्षेत्र का विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाएगा।

6. विकास योजना की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के निर्धारण एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

7. प्रस्ताव है कि कंडिका–3 से 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय।

8. इस आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं घोषणा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है।

9. संलेख प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. उपरोक्त कंडिका–7 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

9/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–21/2016...370... न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–11/5/1

प्रतिलिपि–संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में शामिल करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

अनुसूची - I

(139)

PROPOSAL FOR BIHARSHARIF PLANNING AREA

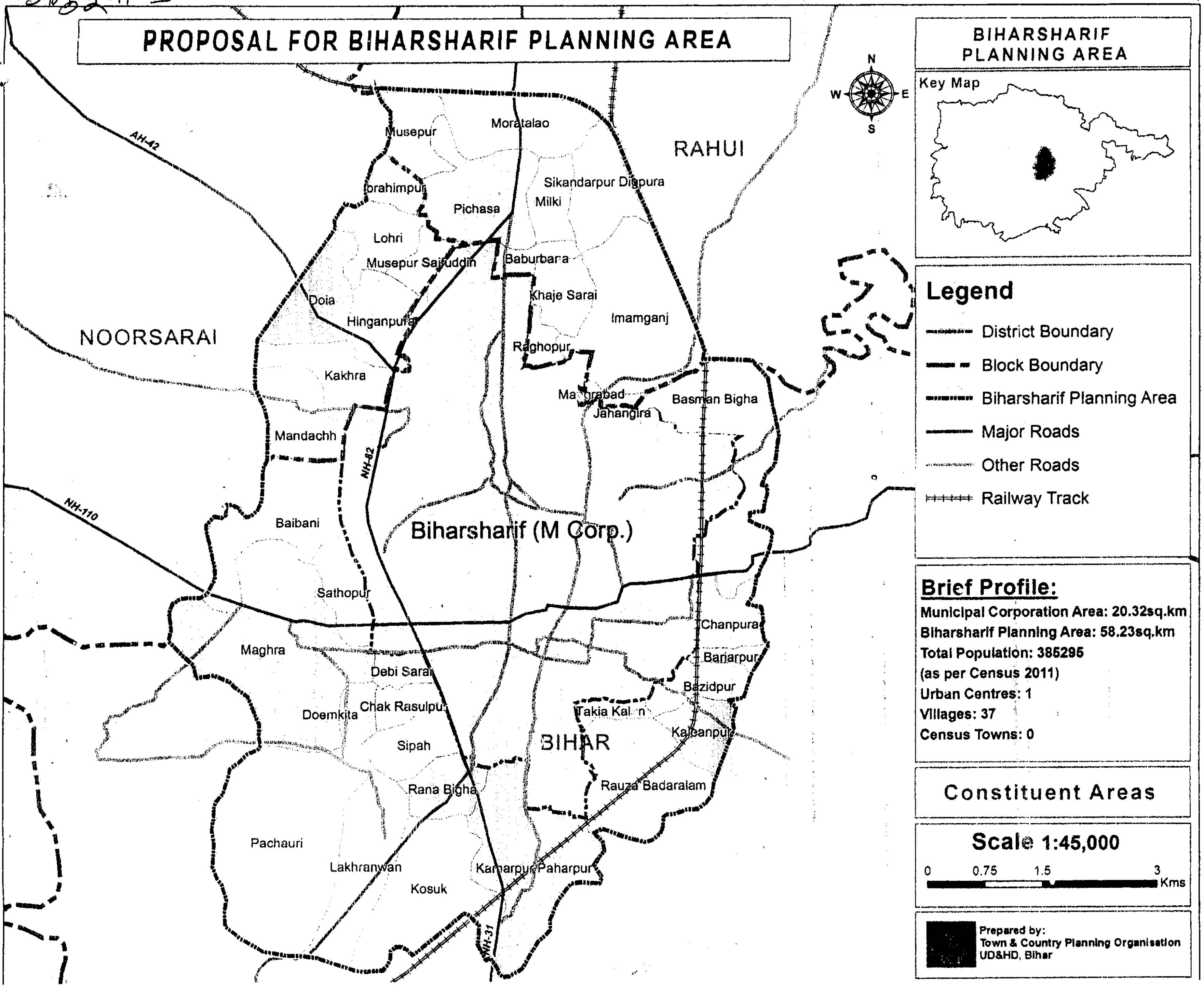

अनुसूची–II

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण

Biharsharif Planning Area:

C. D. Blocks	No. of Revenue Villages	Rural Area (sq.km)	No. of Urban Administrative Units	Urban Area (sq.km)	Total Area (sq.km)
Bihar	19	24.06	1	20.32	44.38
Noorsarai	7	5.08	-	-	5.08
Rahui	11	8.77	-	-	8.77
Total for the Planning Area	37	37.91	1	20.32	58.23

अनुसूची–III

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी

Sl No.	Block	Name	Area (sq.km)	Population_2011
1	**Bihar**	**Biharsharif (M Corp.)**	**20.32**	**297268**
2	Bihar	Pachauri	3.69	5902
3	Bihar	Lakhranwan	1.51	1145
4	Bihar	Sipah	0.68	2213
5	Bihar	Rana Bigha	0.64	3149
6	Bihar	Kosuk	2.03	2644
7	Bihar	Kamarpur Paharpur	2.38	2956
8	Bihar	Rauza Badaralam	1.79	4133
9	Bihar	Takia Kalan	0.22	2142
10	Bihar	Kaleanpur	0.60	1384
11	Bihar	Chanpura	0.60	2498
12	Bihar	Bazidpur	0.55	631
13	Bihar	Bariarpur	0.18	0
14	Bihar	Chak Rasulpur	0.34	969
15	Bihar	Debi Sarai	0.28	249
16	Bihar	Maghra	3.73	11189
17	Bihar	Sathopur	0.63	1952
18	Bihar	Baibani	1.65	4352
19	Bihar	Basman Bigha	2.24	2321
20	Bihar	Doemkita	0.32	0
Sub Total			***44.38***	***347097***
21	Noorsarai	Ibrahimpur	0.37	809
22	Noorsarai	Mandachh	0.99	1650
23	Noorsarai	Kakhra	0.88	1362
24	Noorsarai	Doia	0.99	5647
25	Noorsarai	Hinganpura	0.79	1791
26	Noorsarai	Lohri	0.72	1279
27	Noorsarai	Musepur Saifuddin	0.35	0
Sub Total			***5.08***	***12538***
28	Rahui	Moratalao	1.32	5890
29	Rahui	Pichasa	1.54	2815
30	Rahui	Musepur	0.66	2837
31	Rahui	Milki	0.52	1645
32	Rahui	Sikandarpur Digpura	0.99	3939
33	Rahui	Baburbana	0.30	0
34	Rahui	Khaje Sarai	0.60	1567
35	Rahui	Raghopur	0.24	214
36	Rahui	Imamganj	2.47	6749
37	Rahui	Mangrabad	0.06	4
38	Rahui	Jahangira	0.07	0
Sub Total			***8.77***	***25660***
Total Rural Area			**37.91**	**88027**
Total Urban Area			**20.32**	**297268**
Biharsharif Planning Area (37 Villages, 1 ULB)			**58.23**	**385295**

(135)

कार्यसूची–5/4

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति।

कार्यसूची की विवरणी –

(1) बिहारशरीफ, जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक जिलों में से एक है।

(2) बिहारशरीफ शहर एवं इसके आस–पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। तदोपरान्त जिलाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–876, दिनांक–04.07.2016 द्वारा भेजे गये बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति हेतु विचार किया जाना है।

(3) इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल–58.23 वर्ग कि०मी० है, जिसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त बिहार, रहुई एवं नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के क्षेत्र शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र में 37.91 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 20.32 वर्ग कि०मी० शहरी क्षेत्र है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है –

उत्तर – पूर्वी भाग में रहुई सी०डी० ब्लॉक के ईमामगंज, सिंकन्दरपुरा– दिगपुरा, मोरातलाव एवं मुशेपुर से होते हुए नुरसराय सी०डी० ब्लॉक के ईब्राहिमपुर लोहरी, दुईया क्षेत्र तक।

दक्षिण –पूर्वी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के रोजेवदारे आलम, कमरपुर, पहाड़पुर, कोसुक से होते हुए लकरनवन और पछौरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में बिहार सी०डी० ब्लॉक के बसमनबिगहा, चैनपुरा, बरियारपुर और कल्यानपुर क्षेत्र तक।

पश्चिम–उत्तरी भाग में नूरसराय सी०डी० ब्लॉक के ककहरा, मन्दाछ, से होते हुए बिहार सी०डी० ब्लॉक के बियाबानी और मघरा तक।

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
02	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
03	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
	कुल	**37**	**37.91**	**1**	**20.32**	**58.23**

(4) इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची–I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्द ग्रामों का विवरण अनुसूची–II, एव आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों तथा उसके अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची (नाम, आबादी एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरणी अनुसूची–III, के रूप में संलग्न है।

(5) विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक ईकाइयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना

क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेर–बदल करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

(6) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–11 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन, नियमावली के नियम–11 के तहत् इस आयोजना क्षेत्र का विकास योजना, तैयार किया जा सकेगा।

(7) प्रस्ताव है कि उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु अनुशंसा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के तहत् बोर्ड की सहमति प्रार्थित है।

(8) बोर्ड की सहमति के उपरान्त बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के पँचम बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – अनुलग्नक के अनुसार।

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यावली प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(2). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के अधीन आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया।

(3). बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णय एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निदेश के आलोक में पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया से विकास आयुक्त को अवगत कराया गया।

(4). बैठक में गया, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं सहरसा का आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर विचार विमर्श किया गया।

(5). पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में वित्त आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जाए। उसके द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के क्रम में जिलापदाधिकारी के कार्यालय को Technical Support दिए जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के लिए विभाग द्वारा दिशा–निदेश जारी किए गए थे। विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर इसे अन्तिम रूप देकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आम–जनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर इसे निष्पादित कर जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप विभाग को भेजा गया है, जिसपर इस बैठक में विचार किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

(6). प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा मुज्जफरपुर आयोजना क्षेत्र के density Mapping पर विचार विमर्श किया गया एवं पृच्छा गयी कि एक राजस्व गाँव के पुरे क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को शामिल किया गया है ? इस संबंध में बताया गया कि राजस्व गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को आयोजना क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(7). विकास आयुक्त द्वारा किये गये पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया एवं आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को निष्पादित कर

विभाग द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अग्रेत्तर कारवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया।

(8). इस तरह की प्रक्रिया के अनुपालन की सूचना मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि एवं सहरसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया। गया आयोजना क्षेत्र में प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के दौरान विकास आयुक्त इसे औचित्यपूर्ण वताया गया।

(9). (i) **गया आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
02	बेलागंज	8	13.68	0	0	13.68
03	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
04	परैया	4	5.4	0	0	5.4
05	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
	कुल	**162**	**258.14**	**1**	**50.17**	**308.31**

(ii) **आरा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
02	कोइलवर	17	45.08	1	5.32	50.4
03	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
	कुल	**68**	**138.43**	**2**	**36.19**	**174.62**

(iii) **मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
02	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
03	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
04	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
05	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
06	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
	कुल	**216**	**218.63**	**2**	**47.08**	**265.71**

(iv) **बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
02	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
03	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
	कुल	**37**	**37.91**	**1**	**20.32**	**58.23**

(v) **सहरसा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक / प्रशासनिक इकाई	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	सहरसा	0	0	1	35.89	35.89
02	सत्तर कटैया	21	50.02	0	0	50.02
03	कहरा	34	104.77	0	0	104.77
C4	सौर बाजार	24	103.51	0	0	103.51
	कुल	**79**	**258.3**	**1**	**35.89**	**294.19**

(10). पाँचों शहरों यथा गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/1), आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/2), मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/3), बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/4) एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/5) पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(11). सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाँचों शहरों की सीमांकन एवं घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–
(शिशिर सिंहा)
विकास आयुक्त, बिहार
सह–अध्यक्ष
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

ह०/–
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
सह–सदस्य सचिव
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014.....91.........न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/1

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव–कृषि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पंचायती राज / प्रधान सचिव / सचिव–उद्योग विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–वित्त विभाग / प्रधान सचिव / सचिद–ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यावरण और वन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–परिवहन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग / सचिव–विधि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यटन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–युवा कला एवं संस्कृति विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग / सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ / महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी / मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / जिलाधिकारी, गया / आरा /

(162)

मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / सहरसा / नगर आयुक्त, नगर निगम गया / आरा / मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014...91/–...न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/17

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के पंचम बैठक की कार्यावली –

क्र० सं०	कार्य सूची
5/1	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/2	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/3	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/4	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/5	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 (अधिनियम की धारा–9) के अन्तर्गत प्रस्तावित सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। **(विस्तृत विवरण संलग्न)**
5/6	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014......44......न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक–23/1/17

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव–कृषि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पंचायती राज/प्रधान सचिव/सचिव–उद्योग विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–वित्त विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पर्यावरण और वन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–परिवहन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग/सचिव–विधि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–पर्यटन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–युवा कला एवं संस्कृति विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग/सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ/महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी/मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा/जिलाधिकारी, गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/सहरसा द्वारा नामित पदाधिकारी को बोर्ड के बैठक में विचारण हेतु कार्यावली की प्रति अनुलग्नकों सहित उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वासभाजन,

23/1/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव–नगर विकास एवं आवास विभाग

–सह–सदस्य सचिव,

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड,

बिहार, पटना।

(123) (H)

आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु विचारणीय विन्दु एवं दिशा निदेश

1) राज्य के शहरों के योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए नगर निकाय एवं इससे सटे वृहत्तर क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से इन शहरों के आयोजना क्षेत्र की घोषणा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के अन्तर्गत किया जाना है।

2) वर्णित नियमावली के नियम–9 के आलोक में –

(i) आयोजना क्षेत्र की सीमाओं को परिमितितः परिभाषित किया जाना है,

(ii) आयोजना क्षेत्र को 1:8000 के पैमाना पर जी०आई०एस० निर्देशांक (कोऑरडिनेट्स) के साथ मानचित्र पर स्पष्टतः दर्शाया जाना है,

(iii) जहाँ तक संभव हो आयोजना क्षेत्र में सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या (सर्वे संख्या) सम्मिलित किया जाना है। आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी से विभाजित होने की स्थिति में भू–खण्ड को स्पष्ट ढंग से दर्शाया जायगा,

(iv) आयोजना क्षेत्र को गाँव की चौहद्दी, पंचायत की चौहद्दी, प्रखण्ड की चौहद्दी, अनुमण्डल की चौहद्दी और जिला की चौहद्दी द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ ये प्रशासनिक इकाइयाँ आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी द्वारा विभाजित हो वहाँ उसे सुस्पष्ट ढंग से दर्शाया जाना है,

(v) आयोजना क्षेत्र की परिभाषा के उपर्युक्त पद्धतियों में कोई विवाद होने की दशा में राजस्व भू–कर मानचित्र (कैड्स्ट्रल मैप) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अभिभावी होंगे।

3) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के अध्याय–III में आयोजना क्षेत्रों की घोषणा और आयोजना प्राधिकारों का गठन, अध्याय–IV में भूमि उपयोग मानचित्र एवं भूमि उपयोग रजिस्टर की तैयारी एवं अध्याय–V में विकास योजनाओं की तैयारी, विषयवस्तु और अनुमोदन से सम्बन्धित प्रावधान किये गए हैं।

आयोजना क्षेत्र का सीमांकन उक्त अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित विकास योजना की विषयवस्तु के आलोक में जनगणना–2011 के आकड़ों पर आधारित कम से कम आगामी 20 वर्षों की प्रेक्षित आबादी एवं वांछित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

12/02/16

4) आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त इन शहरों के Urban Agglomerates, Growth in Peri Urban Areas, निकटवर्ती Census Towns, वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरीकरण की क्षमता रखते हों, ऐतिहासिक पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

5) आयोजना क्षेत्र के सीमांकन पर विचार करने के क्रम में इन क्षेत्रों के Regional Connectivity (Location, Brief Histry of Town and its connectivity to Roads, Railways, Airways and Waterways), Geographical Features and Natural Settings (which may include physiography, climate, river and water, soils and vegetation, vulnerabilities etc.), Administrative Boundary (which may be at the level of Divisional, District, Sub Divisional, Block, Municipal Area, Revenue Village.), Demographics and Socio-Economic Profile (which may include present and future distribution of Population.), Direction of Growth and Growth Rate (including population density, Urban expansion and Development in peripheral areas.), Ecological and Environmental Balance (which may include environmentally sensitive zones or areas), Industrial and Commercial Activities and Growth trends, Existing Land Cover (in proposed Planning Area), Infrastructure profile (projects of Infrasturcture development, Township development) आदि पर ध्यान देते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।

6) आयोजना क्षेत्र का सीमांकन, सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों–नगर निकाय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अभियंत्रण कार्यालयों, भू–राजस्व, निबंधन, उद्योग, सांख्यिकी, पंचायतीराज एवं अन्य हितधारकों आदि से विमर्श कर किया जा सकता है।

जिन शहरों का City Development Plan (CDP) पूर्व में नगर विकास एवं आवास विभाग के Support Programe for Urban Reform (SPUR) के अन्तर्गत तैयार किया गया था, उसे संदर्भित किया जा सकता है।

7) अन्य आयोजना क्षेत्रों के प्रस्ताव पर विचारण के क्रम में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में सम्बन्धित जिला पदाधिकारी, यह सुनिश्चित करेगें कि –

i) आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में किया जाय,

ii) प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र में सन्निहित सभी प्रशासनिक ईकाइयों यथा शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को लिखित रूप से सूचना दी जाय,

iii) दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाय,

iv) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों को विधिवत अभिलेखित किया जाय,

v) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन कर स्पष्ट रूप से अनुशंसा बोर्ड के विचारण के लिए भेजा जाय।

8) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के प्रस्ताव पर बोर्ड की सहमति के उपरान्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। आयोजना क्षेत्र की घोषणा के उपरान्त इन क्षेत्रों के Geographical Information System (GIS) आधारित विकास योजना (मास्टर प्लान) की तैयारी बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत Urban and Regional Development Plans Formulaion and Implementation (URDPFI) Guideiines, 2014 के आलोक में तैयार किया जायगा। उक्त अधिनियम, नियमावली एवं URDPFI Guidelines की प्रति विभागीय वेबसाईट www.urban.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

9) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के साथ अथवा इसके उपरान्त उपान्त क्षेत्र की घोषणा, सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजना प्राधिकार का गठन, इन क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों को आवश्यकतानुसार लागू करने तथा सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य अपेक्षित नियमानुकूल कारवाई की जा सकेगी।

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(3) The Board may nominate or co-opt any person/persons whom it may think necessary for the functioning of the Board.

(4) The Board as a body corporate having perpetual succession and a common seal may sue in its corporate name.

(5) The State Government may, if it thinks fit, appoint one of the members as the Vice-Chairman of the Planning Authority.

4. **Functions and Powers of the Board. (Section 4 of the Act) -(1)** Subject to the provisions of the Act and Rules, the functions of the Board shall be to advise the Government in matters relating to planning and development and use of rural and urban land in the State, to guide, direct and assist the Metropolitan Planning Committee or any other Planning Authority/(ies) constituted under the Act and to perform such other functions as the Government may, from time to time assign to the Board.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Board may and, if required by Government, shall :

(a) advise on the delineation of the Planning Area(s) for purposes of planned development and direct the preparation of Development Plan by the Planning Authorities;

(b) direct the preparation of one or more Development Plan(s) by the Planning Authorities or Metropolitan Planning Committees undertake, assist and advise on the coordination of planning and implementation of physical development programmes;

(c) undertake assist and encourage the collection, maintenance, and publication of statistics, bulletins, and monographs and other such activities like seminars, training of personals, association with professional and research organization etc. on regional and urban planning;

(d) direct the preparations of one or more regional development plan, regional transportation plans, town development plans.

(e) direct the preparations of one or more regional natural resources and environmental conservation Plans.

(f) perform any other functions which is incidental, supplemental or consequential to any of the functions aforesaid or as decided by the Government.

(3) The Board may exercise all such powers as may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions under the Act.

5. **Appointment of Committee by the Board. (Section 5 of the Act) -(1)** For assisting the Board in exercising its powers, discharging its duties or performing its functions, the Board may constitute one or more committees.

(2) Any such committee or committees constituted under Sub-Section (1) shall consist of such members as may be specified by the Board and the Board may nominate one of the members as the Chairman of the committee.

(3) The Board shall have the power to co-opt as a member of any Committee constituted under sub-section (1), any person having experience in matters of planning and development but, who is not a member of the Board.

119

53

6. **Terms of office and Conditions of Service of Members of the Board. (Section 6 of the Act)** -(1) The term of office and conditions of service of the members and employees of the Board shall be such as may be decided by the State Government, and they shall be entitled to receive such salaries or allowances or both as may be fixed by the Government.

(2) The control and restriction in relation to the appointment of officers and other employees to the Board shall be as per the State Civil Service Rules.

(3) The Government, may if it thinks fit, terminate the appointment of any member of the Board at any time in case of misconduct by such member.

(4) A member of the Board appointed according to Section 3(1)-(xxiv, xxv) may resign his membership of the Board by giving notice in writing to the Government and on such resignation, being accepted by the Government, he shall cease to be a member of the Board.

(5) Any vacancy so created can be filled up by the Government.

7. **Meetings of the Board. (Section 7 of the Act)** -(1) The Board shall meet at such times and place as the chairman thinks fit, not less than twice in a calendar year and shall make regulations for regulating the procedure and conduct for the transaction of its business at such meetings.

(2) The Chairperson or in absence of the Chairperson, any member chosen by the members from amongst themselves, shall preside over the meeting of the Board.

(3) All questions at the meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

8. **Secretariat of the Board. (Section 8 of the Act)** - (1)The office of the Town and Country Planning Organization located in the Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall act as the Secretariat of the Board.

(2) The Government shall provide all requisite office space, personnel and financial assistance to the Board and its Secretariat.

CHAPTER-III

DECLARATION OF PLANNING AREAS AND CONSTITUTION OF PLANNING AUTHORITIES

9. **Declaration of Planning Areas. (Section 9 of the Act)** -(1)The Government may, for the purpose of securing planned development of regions or areas within the State, on advice of the Board, declare by notification, any such region or area or regions or areas, including a Metropolitan Area or area for development of new towns in the State to be a Planning Area, by whatsoever name known for the purposes of this Act.

(2) The declaration of the planning area shall be widely published in at least two local newspapers having wide circulation as well as by public notice affixed at prominent places, Government offices, local authorities and public places situated within Planning Area. The same shall also be published in the official Government Website.

118
59

(3) Every such notification shall precisely define the limits of such Planning Area.The planning area can be defined in one or a combination of the following manner :

a) Planning Area shall be distinctly shown on map with GIS coordinates on the Scale 1:8000.

b) Planning Area shall as far as possible include full Plot Numbers (Survey No.). In a Situation where a plot is divided by the Boundary of the Planning Area, the same shall be distinctly shown.

c) The planning area can also be defined by village boundaries, Panchayat boundaries, block boundaries, sub-division boundaries and district boundaries. In a situation where these administrative units are divided by the Boundary of the Planning Area, the same shall be distinctly shown.

In case of a dispute between the above modes of definition of a planning area, the details specified in the revenue cadastral map shall prevail.

(4) The Government may declare, with reference to a Planning Area, its surrounding area, defined clearly and unambiguously, as its Peripheral Area. The Peripheral Area as delineated by the Government shall be distinctly shown on a map in one of the methods defined in rule 9 (3).

Provided that extension to such area shall not exceed one km from any point at its boundary.

(5) The Government may, after consultation with the Board and the concerned Planning Authorities, amalgamate two or more Planning Areas into one Planning Area, sub-divide Planning Area(s) into different Planning Areas and include such sub-divided areas in any other Planning Area.

(6) The Government may, by notification, direct that all or any of the Rules, Regulations, orders, directions and powers made, issued, conferred and in force in any other Planning Area at the time, with such exceptions, adaptations and modifications, as may be considered necessary by the Government, shall apply to the area declared as amalgamated with or included in a Planning Area under this Section and such Rules, Regulations, bye-laws, orders, directions and powers shall forthwith apply to such Planning Area without further publication.

(7) When Planning Areas are amalgamated or sub-divided or such sub-divided areas are included in other Planning Areas, the Government shall, after consultation with the Board, frame a scheme determining what portion of the balance of the funds shall vest in the Planning Authority (ies) concerned and in what manner the properties and liabilities of the Planning Authority (ies)shall be apportioned amongst them and on the scheme being notified, the fund, property and liabilities shall vest and be apportioned accordingly.

(8) On or after the date of such notification of declaration of the Planning Area as well as Peripheral Area, the Government may impose one or all of the following restrictions:

a) Government may impose specific conditions for any type of transaction or any use of land in any part lying within these areas for such period as it considers necessary for preparation and implementation of the Development Plan.

117

51

b) The Government may impose a ban on the sale, transfer in any form or change of land use of a specific area or any part lying within these areas for such period as it considers necessary for preparation and implementation of the Development Plan.

10. **Power to Withdraw Planning Area from operation of this Act. (Section 10 of the Act)** -(1) The Government may, by notification, withdraw from the operation of any of the provisions of this Act, the whole or a part of any Planning Area declared. Such an Area shall be distinctly defined in one of the forms mention in rule 9(3).

If any area of the Planning Area is withdrawn from the operation of any of the provisions of the Act, it shall be published in at least two local newspapers having wide circulation as well as by public notice affixed at prominent places, Government offices, local authorities and public places situated within the Planning Area. The same shall also be published in the official Government Website.

(2) When a notification is issued under this section in respect of any Planning area hereunder,

(a) The relevant provisions of this Act and all notifications, Rules and regulations, orders, directions and powers issued, made or conferred hereunder shall, cease to apply to the said area.

(b) The Government shall, after consulting the Board and the Local Authority (ies) concerned, frame a scheme determining the portion of the balance of the fund of the Planning Authority that shall vest in the Government and the Local Authority (ies) concerned and in what manner the properties and liabilities of the Planning Authority shall be apportioned between the Government and the Local Authority (ies) and on the scheme being notified, the fund, property and liabilities of the Planning Authority shall vest and be apportioned accordingly.

11. **Constitution of Planning Authority. (Section 11 of the Act)** -(1) Any time after the declaration of a Planning Area under Section-9, the Government shall, by notification, constitute an authority for such area to be called the Planning Authority of that Planning Area and it shall be known by such name as the Government may determine.

(2) Every Planning Authority constituted under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, to contract, and by the said name sue and be sued.

(3) The planning authority shall consist of the following members namely:

(i) A Chairman of the rank of not less than Secretary to the Government or equivalent to be appointed by the State Government.

(ii) The Chief Town Planner of Town and Country Planning Organization or his representative, ex-officio.

(iii) All District Magistrates of the concerned district

(iv) All Municipal Commissioners/Executive officers of the Urban Local Bodies not exceeding four.

(v) Such officials of the State Government to be nominated by the State Government not exceeding five, ex-officio; who represent departments